न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019-00068 RAAJodhpur2019-36RTA223 Munnidevi Vs Balalram etc

मुन्नीदेवी पुत्री श्री बालाराम पत्नि श्री मांगीलाल, जाति जाट, निवासी- साथीन हाल निवासी- कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट

ब

न

म

1. बालाराम पुत्र श्री सीमाराम जाति जाट, निवासी- कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 138/2013 मुन्नीदेवी बनाम बालाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट

श्री मोहम्मद साबीर अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 3 नवंबर, 2021

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2013 राजस्व वाद संख्या 138/2019 मुन्नीदेवी बनाम बालाराम इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 मार्च 2019 को पेश की गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी/अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर वादीनी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 29 जनवरी 2019 को उभय पक्ष की सुनवाई बाद वादीनी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान सहायक कलक्टर ने तनकी संख्या एक व दो का निर्णय वादीनी के विरुद्ध करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है तथा वादीनी के दादा सीमाराम के नाम वादग्रस्त भूमि की खातेदारी का दस्तावेज पेश नहीं होने के आधार पर वादीनी का वाद खारिज करने में भारी भूल की गयी है। इसमें निवेदन यह है कि वादीनी के दादा सीमाराम का देहांत प्रथम सेटलमेंट से बहुत पहले से हो गया था तथा सीमाराम जी के जीवन काल में किसी प्रकार का कोई खातेदारी का अभिलेख तैयार नहीं किया जाता था। इसलिए उक्त तथ्य को जबानी साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है। वादीनी ने अपने स्वयं के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बयान से एवं अपने गवाहान से साबित किया तथा प्रतिवादी ने वादीनी के उक्त कथन का खण्डन किसी दस्तावेज से नहीं किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीनी के जबानी साक्ष्य की अनदेखी कर तनकी संख्या एक का निर्णय वादीनी के खिलाफ गलत दिया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्रावली में वादग्रस्त भूमि में दादा सीमाराम की खातेदारी की होने तथा सीमाराम का देहांत के बाद प्रथम सेटलमेंट में सीमाराम के बड़े लड़के शिवराम अकेले के नाम खातेदारी की खतौनी बनी तथा इसके बाद भूमि पैतृक होने से सीमाराम के लड़के शिवराम के साथ खातेदारी में अमराराम व बालाराम का नाम दर्ज करने का प्रार्थना पत्र राजस्व शिविर में प्रस्तुत किया गया तथा भूमि बाप दादो से प्राप्त सम्पति होने से शिविर प्रभारी द्वारा अमराराम व बालाराम का नाम दर्ज करने का आदेश दिया, जो नामांतरकरण संख्या 993 प्रदर्श 4 के द्वारा अमराराम व बालाराम का नाम शिवराम के साथ दर्ज किया गया। इसके बाद भूमि विभाजन से वादग्रस्त खसरा नंबर की भूमि बालाराम के नाम दर्ज हो गयी है। इस प्रकार बालाराम को उक्त भूमि उसके पिता सीमाराम से प्राप्त होने पर खातेदारी दर्ज हुई एवं विभाजन प्राप्त हुआ है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजों की भी अनदेखी करके अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने के योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है एवं वादीनी का वाद उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर वादीनी के पक्ष में डिक्री किये जाने के योग्य है। विद्वान सहायक कलक्टर द्वारा वादग्रस्त भूमि सीमाराम के फौत होने के बाद उसके वारिसान् के नाम दर्ज नहीं होने के आधार पर वादीनी के वाद को खारिज करने में भारी भूल की है। इसमें निवेदन यह करना है कि सीमाराम के देहांत के समय तक भूमि का सेटलमेंट का नामांतरकरण दर्ज किया जाता था, वादीनी ने अपने साक्ष्य में भूमि सीमाराम से उसके लड़के शिवराम, अमराराम व बालाराम को प्राप्त होने के तथ्य को साबित किया है, जिसका किसी भी दस्तावेज से खण्डन नही है, जिसको नही माने जाने का कोई कारण पत्रावली पर नही है। न्याय का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तब तथ्यों को जबानी साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है तथा उक्त तथ्य के लिए जबानी साक्ष्य स्वीकार्य माना जायेगा। इस कारण भी विद्वान सहायक कलक्टर का तनकी संख्या एक व दो पर दिया गया निर्णय निरस्त किये जाने के योग्य है तथा वादीनी का वाद उसके पक्ष में डिक्री किये जाने योग्य है। तनकी संख्या तीन वादग्रस्त भूमि वादीनी की पैतृक भूमि नहीं है? को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या एक पर रखा गया, उक्त तनकी का निर्णय तनकी संख्या एक से भी पहले किया जाना आवश्यक था तथा प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त तनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को साबित नहीं किया। विद्वान सहायक कलक्टर ने केवल तनकी संख्या एक के आधार पर तनकी संख्या तीन का निर्णय प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में करने में भारी भूल की गयी है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने के योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2017 को अपास्त फरमाया जाकर वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीनी के पक्ष में डिक्री किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीनी की पुश्तैनी सहदायगी की सम्पति नहीं है तथा न ही वादग्रस्त भूमि पर वादीनी का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। वादीनी द्वारा वादग्रस्त भूमि के पुश्तेनी होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट रेस्पोडेंट संख्या एक के भाई के नाम से दर्ज थी जो उसे अपने भाई से प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर विधिसम्मत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक **वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 997, 998, 1008 व 1238 वादीनी के दादा के नाम से दर्ज नहीं होकर वक्त सेटलमेंट से शिवराम वल्द सीमाराम कौम जाट, सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज थी जो उपजिलाधीन जोधपुर के आदेश के जरिये नामांतरकरण संख्या 993 दिनांक 15.02. 1983 के द्वारा रेस्पोडेंट बालाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। इससे स्पष्ट साबित है कि बालाराम को उक्त भूमि अपने भाई से न्यायालय निर्णय से प्राप्त हुई न कि पुश्तैनी विरासत रूप में। ऐसी स्थिति में वह अपने पिता के जीवन काल में उसकी स्व-अर्जित खातेदारी भूमि में हक-हिस्सा प्राप्त करने की हकदार नहीं है। वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने अथवा अपने दादा सीमाराम के नाम से दर्ज होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है तथा न ही वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त साबित कर पायी।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण तनकीयात कायम कर पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दस्तावेज एवं साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरुप पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत साक्ष्य पर तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 138/2013 मुन्नीदेवी बनाम बालाराम इत्यादि को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/11/2021

नखतदान बारहठ

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
मुन्नीदेवी पुत्री श्री बालाराम पत्नि श्री मांगीलाल, जाति जाट, निवासी- साथीन हाल निवासी- कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।	**ब ना म**	1. बालाराम पुत्र श्री सीमाराम जाति जाट, निवासी- कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर। 2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर पीपाड़ शहर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 138/2013 मुन्नीदेवी बनाम बालाराम इत्यादि

--- 0 ---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 03 नवंबर 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया मिनजानिब अपीलाण्ट अधिवक्ता, श्री मोहम्मद साबिर, एव श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत साक्ष्य पर तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जनवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 138/2013 मुन्नीदेवी बनाम बालाराम इत्यादि को यथावत रखा जाता है।। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---/----) रूपये -/------------ अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का --------/- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 03 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया।

3/11/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी	/

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		3. इजराय हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

31/11/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर